74

ज्ञापांक-06/404746/पी.-1

4-9-31-16

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 4 / 1 /2019

Fax/E-mail

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार ।
सभी पुलिस अधीक्षक, (रलवे/इकाई सहित), बिहार ।

प्रसंग :- पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक-496/पी.1 दिनांक-15.11.18, ज्ञापांक-521/पी.1 दिनांक-02.12.18, ज्ञापांक-819/पी.2 दिनांक-05.12.18, ज्ञापांक-818/पी.2 दिनांक-05.12.18, ज्ञापांक- 813/पी.3 दिनांक- 15.11.18, दिनांक-831/पी.3 दिनांक-20.11.18, ज्ञापांक-800/पी.2 दिनांक-22.11.18 एवं 878/पी.2 दिनांक-26.12.18

विषय :- **स्थानांतरण आदेश के अनुपालन के संबंध में ।**

निदेशानुसार उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में कहना है कि माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2018 में प्रसंगाधीन ज्ञापांकों द्वारा प्रक्षेत्रावधि पूर्ण सिपाहियों, प्रोन्नति प्राप्त सहायक अवर निरीक्षकों/पुलिस अवर निरीक्षकों एवं पुलिस निरीक्षकों तथा पटना जिला से प्रशासनिक आधार पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों का स्थानांतरण विभिन्न जिला एवं इकाईयों में किया गया है । उक्त स्थानांतरण आदेशों में संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्धारित तिथि तक विरमित कर भौतिक रूप से प्रस्थान कराकर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था परन्तु अभी तक उक्त आदेशों का अनुपालन पूर्णतः नहीं हुआ है । दिनांक-19.12.2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा उक्त आदेशों सहित सभी प्रकार के स्थानांतरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ।

आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित आदेशों में निहित शर्तों के आलोक में स्थानांतरित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दिनांक-05.01.2019 तक स्थानांतरित स्थान में विरमित कर योगदान कराएं । उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने वाले स्थानांतरित पदाधिकारी एवं कर्मी **दिनांक-06.01.2019** से स्वतः विरमित माने जाएंगे और उनसे कोई कार्य आपके द्वारा नहीं लिया जाएगा और उनके वेतन की निकासी आपके जिला/कार्यालय से नहीं किया जाएगा ।

4.1.19

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना ।

प्रतिलिपि :- सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (रलवे एवं इकाई सहित) बिहार को सूचनार्थ । अनुरोध है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन एवं अनुश्रवण अपने स्तर से करेंगे तथा फलाफल से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराएंगे।

4.1.19

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना ।